<u>संख्या-1298/एक-10-2025-12(34)/2003 टीसी-1</u>

प्रेषक,

अनिल कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पीलीभीत, गाजियाबाद, महाराजगंज, चित्रकूट, गौतमवुद्ध नगर, शाहजहाँपुर, वाँदा, गोरखपुर, वरेली, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, वदायूं, आगरा, देवरिया, महोवा, हरदोई, सिद्धार्थ नगर, वस्ती, हापुड़, औरैया, मऊ, वहराइच, फर्रुखावाद, भदोही, गाज़ीपुर, हमीरपुर, रामपुर, कानपुर नगर, वाराणसी, फतेहपुर, अलीगढ़, प्रयागराज, वारावंकी, सुल्तानपुर, फ़िरोज़ाबाद, अमेठी, झांसी, प्रतापगढ़ एवं कासगंज।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांकः 02-01-2026

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्वन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के लिये धनावंटन हेतु एम0एच0ए0 के पत्र संख्या-33-03/2020-एन0डी0एम0-1, दिनांक 11.07.2023 द्वारा जारी गाइडलाइन के आइटम नं0-3 (क) के प्राविधान-राहत कैम्प में सुरक्षित बचाकर लाये गये व्यक्तियों/शरणार्थियों/प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा सुविधा आदि की व्यवस्था किये जाने के आलोक में गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने हेतु कम्बल क्रय के लिये रू0 1156.70 **(रूपये ग्यारह करोड़ छप्पन लाख सत्तर हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

		(धनराशि लाख रू0 में)
क्रम संख्या	**जनपद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	**2**	3
1	पीलीभीत	18.70
2	गाजियाबाद	33.95
3	महाराजगंज	37.58
4	चित्रकूट	1.24

File No. 1-10099/988/2020-राजस्व अनुभाग-10-राजस्व विभाग-Part(1) (Computer No. 2005224)
Generated from eOffice by Dharmendra Singh, ARO(DS) Revenue, ... on 05/01/2026 10:38 AM

5	गौतमबुद्ध नगर	20.92
6	शाहजहाँपुर	39.44
7	बाँदा	13.60
8	गोरखपुर	60.25
9	बरेली	50.00
10	लखीमपुर खीरी	51.25
11	श्रावस्ती	8.96
12	बदायूं	54.63
13	आगरा	63.96
14	देवरिया	41.51
15	महोबा	3.78
16	हरदोई	62.78
17	सिद्धार्थ नगर	29.89
18	बस्ती	24.44
19	हापुड़	13.70
20	औरैया	14.59
21	मऊ	22.06
22	बहराइच	44.80
23	फर्रुखाबाद	11.06
24	भदोही	14.56
25	गाज़ीपुर	42.70
26	हमीरपुर	3.68
27	रामपुर	20.10
28	कानपुर नगर	10.99
29	वाराणसी	20.16
30	फतेहपुर	22.00
31	अलीगढ़	8.60
32	प्रयागराज	70.29
33	बाराबंकी	24.06
34	सुल्तानपुर	55.66
35	फ़िरोज़ाबाद	28.58
36	अमेठी	34.68
37	झांसी	17.91
38	प्रतापगढ़	43.83
		15.81

~~39~~	~~कासगंज~~	
	कुल योग	1156.70
(रूपये ग्यारह करोड़ छप्पन लाख सत्तर हजार मात्र)		

(1) कम्बल क्रय किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-1031 /एक-10-2025-12(34)/2003 टीसी-1, दिनांक 01.11.2025 में दिये गये प्राविधानों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) विगत 03 वर्षों में कम्बल क्रय हेतु व्यय किये गये औसत धनराशि से अधिक धनराशि का कम्बल क्रय न किया जाय। अपरिहार्य परिस्थिति में ही अतिरिक्त कम्बल क्रय की मांग राहत आयुक्त, उ0प्र0 के माध्यम से ही शासन को उपलब्ध कराया जाय। किसी भी स्थिति में अतिरिक्त कम्बलों का क्रय धनराशि निर्गत होने के पूर्व न किया जाय।

(3) आपूर्तिकर्ता संस्था को कम्बल पर टैग लगाना होगा जिस पर संबंधित संस्था का नाम कम्बल की लम्बाई, चौड़ाई एवं वजन का विवरण होगा। यह भी अंकित करना होगा कि कम्बल राजस्व विभाग के सौजन्य से निःशुल्क वितरित किया जा रहा है, जो बिक्री के लिए नहीं है।

(4) उक्त धनराशि का व्यय एम0एच0ए0 के पत्र सं0-33-03/2020-एन0डी0एम0-1, दिनांक 11.07.2023 द्वारा जारी गाईड लाइन में उल्लिखित अर्ह मानक मदों के अनुसार किया जायेगा।

(5) निर्बल, निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को अत्यधिक ठण्ड व शीतलहरी से बचाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा विना समय गवाएं जरूरत मंद व्यक्तियों को यथाशीघ्र समय से निःशुल्क कम्बल आदि की सुविधा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा , ताकि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी की पूरी अवधि हेतु उन्हें यह सुविधा प्राप्त हो सके।

(6) निर्बल, निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के चिन्हीकरण के लिए वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन/अन्त्योदय कार्ड की प्रतीक्षा सूची, भूमिहीन, बीमार व अत्यधिक वृद्धजनों को प्राथमिकता दी जाये। विधवा पेंशन की प्रतीक्षा सूची में से अल्पसंख्यक बच्चों व अत्यधिक वृद्ध विधवाओं का तथा नगरीय क्षेत्र मलिन वस्तियों व ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़े मजरों में निवास करने वाले विशेषकर कमजोर वर्ग के वृद्ध, बीमार पुरूष/महिला, निराश्रित एवं असहाय को प्राथमिकता दी जाये उपरोक्त के क्रम में निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया जाये तथा क्रय कम्बलों आदि का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए कैम्प लगाकर जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरित किया जायेगा तथापि रात्रि में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से भी पात्रों को कम्बल आदि का वितरण सुनिश्चित कराया जाये।

(7) इस प्रयोजन हेतु स्थानीय नगर निकायों का भी सहयोग प्राप्त किया जाये तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी के कारण किसी की मृत्यु न हो।

(8) निःशुल्क कम्बल प्राप्त करने वाले व्यक्ति का विवरण जनपद स्तर पर रखा जायेगा तथा जनपद की वेवसाइट के साथ ही राहत की वेवसाइट rahat@nic.in पर अवश्य फीड कराया जायेगा।

(9) क्रय किये गये कम्बलों तथा अलाव जलाने पर व्यय की गयी धनराशि आदि का जिला स्तर पर समुचित लेखा जोखा रखा जायेगा तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा

स्वयं हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(10) क्रय किये गये कम्बलों की गुणवत्ता मानक के अनुसार होने एवं क्रय के संबंध में शासन की दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(11) मण्डलायुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अधीनस्थ जनपदों में क्रय किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता/मानक/मूल्य में विना युक्ति-युक्त कारणों के अधिक अन्तर न हो।

(12) कम्बलों का वितरण की अदयावधिक स्थिति राहत आयुक्त कार्यालय के ई-मेल rahat@nic.in पर प्रत्येक दिन शाम 4 बजे तक अवश्य उपलब्ध कराया जाए।

(13) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2026 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(14) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(15) उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-08-शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
ANIL KUMAR
Date: 02-01-2026
10:52:12

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-1298(1)/एक-10-2025-12(34)/03 टीसी-I, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम(लेखा एवं हकदारी), प्रयागराज, उ0प्र0।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उ0प्र0।
4- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
5- राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
6- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
8- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, लखनऊ, उ0प्र0।
9- संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।

10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-5।

11- गार्ड फाइल।

Digitally signed by
KULDEEP SINGH
Date: 02-01-2026
20:11:21

आज्ञा से,

(कुलदीप सिंह)

उप सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-05/01/2026

प्रेषण संख्या:- 1298
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1298
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
08 - शीत लहरी / पाला से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	अलीगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	860000 3610000	860000 3610000
2	आगरा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6396000 9696000	6396000 9696000
3	बरेली-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 8300000	5000000 8300000
4	बदायूं-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5463000 8213000	5463000 8213000
5	शाहजहांपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3944000 6694000	3944000 6694000
6	पीलीभीत-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1870000 4620000	1870000 4620000
7	रामपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2010000 5310000	2010000 5310000
8	फर्रुखाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1106000 2756000	1106000 2756000
9	कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1099000 3299000	1099000 3299000
10	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2200000 3850000	2200000 3850000
11	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7029000 11429000	7029000 11429000
12	झाँसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1791000 4541000	1791000 4541000
13	हमीरपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	368000 2568000	368000 2568000
14	बांदा -4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1360000 4110000	1360000 4110000
15	वाराणसी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2016000 3666000	2016000 3666000
16	गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4270000 8120000	4270000 8120000
17	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6025000 9875000	6025000 9875000
18	बस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2444000 4644000	2444000 4644000
19	देवरिया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4151000 6901000	4151000 6901000
20	हरदोई-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6278000 9028000	6278000 9028000
21	लखीमपुर खीरी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5125000 8975000	5125000 8975000
22	बहराइच-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4480000 7780000	4480000 7780000

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
23	सुल्तानपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5566000 8316000	5566000 8316000
24	प्रतापगढ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4383000 7133000	4383000 7133000
25	बाराबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2406000 5706000	2406000 5706000
26	गाजियाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3395000 5045000	3395000 5045000
27	मऊ-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2206000 4406000	2206000 4406000
28	सिद्धार्थनगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2989000 5739000	2989000 5739000
29	फिरोजाबाद-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2858000 5608000	2858000 5608000
30	महाराजगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3758000 5958000	3758000 5958000
31	महोबा-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	378000 2028000	378000 2028000
32	भदोही-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1456000 3106000	1456000 3106000
33	गौतमबुद्ध नगर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	2092000 3742000	2092000 3742000
34	औरैया-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1459000 3109000	1459000 3109000
35	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	896000 2546000	896000 2546000
36	चित्रकूट-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	124000 2324000	124000 2324000
37	कांसगंज-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1581000 3231000	1581000 3231000
38	अमेठी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3468000 5668000	3468000 5668000
39	हापुड़-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	1370000 3040000	1370000 3040000
	योग	वर्तमान प्रगामी	115670000 214690000	115670000 214690000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया ग्यारह करोड़ छप्पन लाख सत्तर हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया इक्कीस करोड़ छियालीस लाख नब्बे हजार

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।